

प्रेस नोट:-

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक-23.03.2019

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-

जनपदीय पुलिस / यातायात पुलिस गोण्डा द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडीयों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **72 वाहनों से मु0- 11150 रू0 शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।**

पैदल गश्त अभियान:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गस्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते **290 भा0द0वि0/34 पुलिस अधिनियम में 20 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।**

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 11 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

02 वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों के गिरफ्तारी के अभियान में जनपदीय पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 22.03.2019 को जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल-04 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 150 लीटर कच्ची शराब मय उपकरण बरामद की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है-

थाना को0 मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. चन्दन देवी पत्नी कौशल बरूवार नि0 भिटौरा बस्तीपुरवा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-137/19, 02. ननका देवी पत्नी भगौती प्रसाद नि0 भिटौरा बस्तीपुरवा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-138/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. राम नारायन चौहान पुत्र धोखई चौहान नि0 चौहान पुरवा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-117/19, धारा 60) आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. रिकू निषाद पुत्र स्व0 भगवाने निषाद नि0 जैदपुर माझा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 100 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-97/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

विवेचनाओं का निस्तारण-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- 05 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

बरामदगी-

01. 150 ली0 अवैध कच्ची शराब।

प्रेस नोट:-

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक-24.03.2019

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग-

जनपदीय पुलिस/ यातायात पुलिस गोण्डा द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडीयों में क्षमता से अधिक सवारी बैटाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **103 वाहनों से मु0- 18800 रु0 शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।**

पैदल गश्त अभियान:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गस्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके। अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में कार्यवाही करते **290 भा0द0वि0/34 पुलिस अधिनियम में 13 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी।**

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से **कुल- 43 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

20 वारण्टी अभियुक्तों के विरुद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों के गिरफ्तारी के अभियान में जनपदीय पुलिस द्वारा 20 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 23.03.2019 को जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल-09 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 230 लीटर कच्ची शराब मय उपकरण बरामद की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है-

थाना धानेपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. अनिल कुमार पुत्र जगदम्बा प्रसाद निवासी दुल्हापुर बनकट थाना धानेपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से **20 ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-132/19, धारा 60) आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. विजय राज उर्फ विजय पुत्र रामअनुज निवासी भैरमपुर थाना कौडिया जनपद गोण्डा के कब्जे से **50 ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-69/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. राजेश सोनकर पुत्र तिलकराम निवासी खोटीया कस्बा वजीरगंज थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से **40 ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-118/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही-

01. प्रेमबाबू पुत्र भगई निवासी दनौव्या थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से **40 ली0** अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-73/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना उमरीबेगमगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. बलराम उर्फ बब्लू पुत्र टिन्ने निवासी परासपट्टी मझवार थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-67/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. केशव सिंह पुत्र स्व: छेदी सिंह निवासी नन्दौर नव सहारा थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 40 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-85/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

आर्म्स एक्ट में की गयी कार्यवाही—

थाना खरगपुर से अभियुक्त—

जनपद गोण्डा के थाना खरगपुर पुलिस द्वारा नाजायज नाकू के साथ अभियुक्त— हसीव पुत्र जलील निवासी लोनाव दरगाह थाना खरगपुर गोण्डा जनपद गोण्डा को गस्त के दौरान गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 01 अदद नाजायज चाकू बरामद कर थाना परसपुर में उक्त अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0-68/19, धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही करते हुए चालान न्यायालय किया गया।

गैरइरादतन हत्या करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। रविवार जनपद गोण्डा के थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा गैरइरादतन हत्या करने का आरोपी अभियुक्त—दीपू पुत्र सुन्दर निवासी कोरी थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा को थाना को0 कर्नलगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-136/19 धारा 304 भा0द0वि0 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

दिनांक 23.03.2019 को उक्त अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी पायल को चाकू से मारकर घायल कर दिया था। जिसकी ईलाज को ले जाते समय मृत्यु हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध में गाँव के चौकीदार द्वारा थाना को0 कर्नलगंज पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा उक्त आरोपी अभियुक्त को आज दिनांक 24.03.2019 को मुखबिर की सूचना पर लखनऊ गोण्डा मार्ग ग्राम मसौलिया के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

विवेचनाओं का निस्तारण—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- 04 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

बरामदगी—

01. 230 ली0 अवैध कच्ची शराब।
02. 03 अदद मोटरसाईकिलें।
03. 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस।

सराहनीय प्रेस नोट मीडिया सेल जनपद गोण्डा दिनांक 24.03.2019

अवैध जहरीली शराब व शराब बनाने के उपकरण व परिवहन में प्रयुक्त 02 मोटरसाईकिलें बरामद, 03 अभियुक्त गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. नकानू पुत्र मुन्ना जैदवा खटिकनपुरवा पचपुती जगतापुर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।
02. रमेश उर्फ कच्चे पुत्र जवाहिर जैदवा खटिकनपुरवा पचपुती जगतापुर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।
03. बल्लू पुत्र नकानू सोनकर निवासीगण जैदवा खटिकनपुरवा पचपुती जगतापुर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0— मु0अ0सं0—142/19, धारा 272.273 भादवि व 60/60(2)/72 आबकारी अधिनियम थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 20 ली0 अवैध अमिश्रित कच्ची शराब।
02. शराब बनाने के उपकरण।
03. 02 अदद मोटर साईकिल।

संक्षिप्त विवरण—

प्रभारी निरीक्षक मनकापुर द्वारा बताया गया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि जैदवाजंगल गाँव के पीछे कुछ लोग अवैध कच्ची शराब बना रहे हैं। इस सूचना पर उ0नि0 दधिबल यादव मय हमराह फोर्स के साथ मुखबिर द्वारा बताये गये निशान देही पर मौके पर पहुँचकर उक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर मौके से अवैध अपमिश्रित शराब व शराब बनाने के उपकरण व परिवहन में प्रयुक्त की जाने वाली 02 अदद मोटरसाईकिलें बरामद कर उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मनकापुर में धारा 60/60(2)/72 आबकारी अधिनियम व 272.273 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 दधिबल यादव थाना मनकापुर।
02. उ0नि0 दिवाकर मिश्रा थाना मनकापुर।
03. का0 कपिल देव यादव, 04. का0 अवधेश, 05. का0 विकास थाना मनकापुर।

अवैध शस्त्र व चोरी की मोटरसाईकिल के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. द्वारिका प्रसाद शर्मा पुत्र श्याम सुन्दर शर्मा निवासी राजापुर मौजा परसौना थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—79/19 धारा 41/411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद तंमचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।
02. 01 अदद प्लेटिना मोटरसाईकिल बिना नम्बर की।

संक्षिप्त विवरण—

आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस अधीक्षक गोण्डा आर0पी0सिंह ने जनपद की सीमाओं पर आने जाने वाले रास्तों पर बैरियर लगाकर संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग के लिए समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को शख्त निर्देश दिये थे।

जिसके क्रम में आज दिनांक 24.03.2018 को उ0नि0 नरसिंह मय हमराह फोर्स के साथ नसीरपुर से भटपुरवा जाने वाले तिराह पर संदिग्ध व्यक्तियों व वाहनों की चेकिंग करते समय उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद तंमचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व 01 अदद प्लेटिना मोटरसाईकिल बिना नम्बर की बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कटराबाजार पर धारा 41/411 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 नरसिंह थाना कटराबाजार।
02. उ0नि0 राकेश कुमार ओझा थाना कटराबाजार।
03. का0 गिरजेश कुमार थाना कटराबाजार।

